बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन-0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰प्रा॰/नि॰-1-3/2019 2153 /पटना, दिनांक 03/12/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (पैक्स चुनाव),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
बिहार।

विषय : **सहकारी समिति के निर्वाचन के संबंध में अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न एवं उत्तर (FAQ No.-2)।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारी समिति के निर्वाचन के संबंध में अक्सर कतिपय पृच्छाएँ की जाती हैं। जिन प्रश्नों को बार-बार उठाया जाता है उनके प्रश्न एवं उत्तर तैयार कर संलग्न है।

विश्वासभाजन

03.12.19

अनुलग्नक: **यथोक्त।**

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2153 /पटना, दिनांक 03/12/2019

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰/ निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: **यथोक्त।**

03.12.19

संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन-0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

FAQ No.-2 (Frequently Asked Questions)

प्रश्न सं०-1- क्या समिति का सह-सदस्य किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक/ समर्थक हो सकता है?

उत्तर सं०-1- हाँ। निर्वाचन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका के अध्याय 5 (घ) में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित समिति की मतदाता सूची में जिसका नाम हो, वह प्रस्तावक/ समर्थक हो सकता है।

प्रश्न सं०-2- निर्वाचन कार्य में प्रयोग के लिए वाहन और ईंधन कहाँ से और किस दर पर लिए जायेंगे?

उत्तर सं०-2- पैक्स का निर्वाचन बहुत व्यापक स्तर पर नहीं होता है और इसका कार्य क्षेत्र भी सीमित होता है। अतः यथासंभव सरकारी वाहनों का प्रयोग किया जाय ताकि मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन हो सके। यदि अतिरिक्त वाहन के अधिग्रहण की नितांत आवश्यकता हो, तो परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा जिला स्तर पर अनुमोदित दर, जो कम हो के आधार पर वाहन चालक/ वाहनों का प्रयोग किया जा सकेगा। जिला को प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटन से ईंधन का व्यय होगा।

प्रश्न सं०-3- बैलेट पेपर में क्या पुरूष का नाम पहले और महिला का नाम उसके बाद अंकित किया जायेगा?

उत्तर सं०-3- नहीं। देवनागरी लिपि के वर्णानुक्रम में महिला और पुरूष दोनों (जो भी पहले हो) के नाम अंकित होंगे। निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय 8 तथा प्रपत्र ई-6 में भी स्पष्ट उल्लेख है। प्राधिकार का पत्रांक-1322 दिनांक-22.09.2014 निरस्त कर दिया गया है तथा इस हेतु प्राधिकार का पत्रांक-2135 दिनांक-03.12.2019 भी निर्गत है (संलग्न)।

प्रश्न सं०-4- प्राथमिक समिति के निर्वाचन में कोरम पूरा होने के लिए न्यूनत्तम कितने पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों का नामांकन होना चाहिए?

उत्तर सं०-4- इस विषयक प्राधिकार का पत्रांक-1884 दिनांक-20.11.2019 द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। साथ ही प्राधिकार के पत्रांक-1322 दिनांक-22.09.2014 को इस हद तक निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न सं०-5- किसी कोटि में महिलाओं के लिए जितने पद आरक्षित हैं, उतनी ही महिलाओं ने नामांकन किया हो तो क्या बैलेट पेपर में उस पद के लिए अन्य पुरूष अभ्यर्थियों के साथ महिला अभ्यर्थियों का नाम भी प्रिंट होगा?

उत्तर सं०-5- नहीं। क्योंकि महिला अभ्यर्थियों का निर्विरोध चयन माना जायेगा।

प्रश्न सं०-6- होमगार्ड/ पुलिस का भुगतान किस प्रकार होगा? क्या प्राधिकार आवंटन देगा?

उत्तर सं०-6- प्राधिकार आवंटन नहीं देगा। गृह विभाग के माध्यम से भुगतान होगा।

प्रश्न सं०-7- पर्यवेक्षक कहाँ योगदान करेंगे? उनके वाहन/ आवासन की व्यवस्था कौन करेगा?

उत्तर सं०-7- पर्यवेक्षक जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ योगदान करेंगे तथा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को भी इसकी लिखित सूचना देंगे। पर्यवेक्षक को सभी आवश्यक संसाधन जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के सहयोग से उपलब्ध कराए जाएँगे।